

4.4.24

पत्रावली पेश। कमील तारीख बमि।
मूल खर्च को तामील डे अभाव
में खारिज डिमा गया। अतः
प्रार्थना - पत्र 212 RTA Act का
कोई औचित्य नहीं है। अतः
मूल खर्च को खारिज डे आया
पर प्रार्थना - पत्र 212 RTA Act
को खारिज डिमा जाता है पत्रावली
फैसल शुमार चेका नम्बर से कम
बे, कायिल दफतर में।

सहायक कलेक्टर (आरट्ट डेक)
दौतालमबाग (सीकर)